न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 87/2020

दिनेश कुमार मिश्र .....वादी।

बनाम्

दुर्वाशा मिश्र वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

07.02.2023 उभय पक्षों की हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा दाखिल इन्तनाई आवेदन दिनांक– 25.10.21 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सी0 पी0 सी0 पर आदेश हेतु नियत है। उक्त आवेदन में प्रतिवादी सं0 3 का कहना है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में लिखे गये केवाला दिनांक– 13.09.2019 जो मौजा खैरही, थाना नं0 370, अंचल डुमरॉव खाता सं0 22 खेसरा सं0 240, रकवा 15 डी0 एवं खेसरा सं0 240/259, रकवा 5 डी0 की जमीन को विवादग्रस्त जमीन माना है तथा उक्त केवाला को नाजायज घोषित करने के लिए दाखिल किया है। वादी के खानदान में बंटवारा हो चुका है तथा पक्षकारों के बीच 27.12.08 को यादास्त बंटवारा का कागज भी लिखा गया है। इस वाद के सभी फरीकेन को उक्त बंटवारा के मुताबिक हिस्सा में मिले जायदाद का ब्यूरा दिया गया है जिस पर कोई विवाद नहीं है। वादी ने दिनांक– 24.02.2020 को एक निषेधाज्ञा का आवेदन दाखिल किया था जिसमें विवादित जमीन के निश्वत मुदालेह सं0 1,3 एवं 5 को निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोकने का निवेदन किया गया था। न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादी सं0 1 की उपस्थिति एवं निषेधाज्ञा आवेदन गुण–दोष पर सम्यक सुनवाई एवं आदेश तक उभय पक्ष विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाये रखेंगे तथा साथ ही मुदई को निर्देश दिया गया था कि प्रतिवादी सं0 1 पर नये सिरे से नोटिस एवं स्पीड पोस्ट की कार्यवाही कर ट्रैक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। आदेश दिनांक– 22.12.2020 के आलोक में विवादित जमीन के अलावा अन्य सब्भी जमीनों पर जिसका ब्यूरा जमीमा नं0 3 से (3 च) तक अर्जी में दर्ज है जिस पर भी निबंधन कार्यालय बक्सर में ब्लैक लिस्टेड करवा दिया है जो सरासर गैर गानूनी व आदेश दिनांक– 22.12.20 के

लगातार
07.02.2023

खिलाफ है। इस वाद में विवादग्रस्त जमीन वादपत्र के सूची2 में दर्ज जमीन ही है तथा सूची सं0 3 से 3 च के निश्वत न तो कोई विवाद है ना ही उनके निश्वत न्यायालय द्वारा कोई आदेश ही पारित है। अतः दिनांक– 22.12.2020 के आदेश में परिवर्तन कर सिर्फ विवादग्रस्त जमीन जो कि वाद पत्र के सूची सं0 2 में वर्णित है जो मौजा खैरही खाता सं0 22 खेसरा सं0 240 रकबवा 15 डी0 एवं खेसरा सं0 240/259 रकवा 5 डी0 कुल रकवा 20 डी0 पर ही निषेधाज्ञा आदेश को बरकरार रखा जाये।

वादी द्वारा दिनांक– 27.04.22 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कहते हैं कि प्रतिवादी सं0 3 द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः पोषणीय नहीं है, बल्कि यह वाद के निष्पादन में विलम्ब के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। वादी ने यह वाद केवाला को शून्य घोषित करने के लिए लाया गया है तथा न्यायालय द्वारा 22.12.2020 के आदेश को यथास्थिति बनाये रखने का दिया गया था जो सही है। आदेश दिनांक– 22.12.20 के खिलाफ प्रतिवादी सं0 3 को अपील या रिविजन दाखिल करना चाहिए था। न्यायालय के आदेश दिनांक– 22.12.2020 को परिवर्तन आदेश करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादी विवादित जमीन को तहस नहस करने पर तुले हुये हैं जिस पर न्यायालय द्वारा 22.12.2020 के आदेश पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया है। अतः प्रतिवादी सं0 3 द्वारा दाखिल आवेदन I25.10.21 को खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि वर्तमान में यह वाद अन्य प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु नियत है। वादी ने यह वाद यह घोषित करने हेतु लाया है कि प्रतिवादी सं0 1 दुरवासा मिश्र द्वारा प्रतिवादी सं0 2 किरण कुमारी के पक्ष में केवाला दिनांक– 13.09.2019 किया गया है वह जाली फरेबी तथा बिना हक व हकदार के नाजायज व शून्य है तथा विवादित जमीन पर मुदई का दखल कब्जा माना जाये तो उन्हें विवादित जमीन पर कब्जा दिला दिया जाये। वाद पत्र के कंडिका–11, 13 एवं 14 से यह स्पष्ट होता सहै कि वादी द्वारा दाखिल वाद में विवादित जमीन वाद पत्र के जमीमा नं0 2 है। वादपत्र के कंडिका–12 में बंटवारा में मिले सभी फरीकेन का अलग अलग जमीन वाद पत्र के

लगातार
07.02.2023

जमीमा नं0 3 से 3 च तक को दिया गया है, लेकिन वादी द्वारा वाद पत्र के कंडिका–13 में यह जिक किया गया है कि जमीमा नं0 2 की जमीन बंटवार में वादी को मिली थी। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 को कोई अधिकार नहीं था कि प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में कोई केवाला निष्पादित करें। अतः वाद पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वाद पत्र के जमीमा नं0 2 में वर्णित खाता सं0 22, खेसरा सं0 240, रकवा 15 डी0 तथा खाता सं0 22, खेसरा सं0 240/259, रकवा 5 डी0 कुल 20 डी0 जमीन विवादित है जिसे प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में निबंधित केवाला द्वारा विकी कर दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि वादी द्वारा 24.02.20 को एक निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया था जिस पर इस वाद के प्रतिवादी सं0 3 एवं 5 अपना अनापत्ति दर्ज किये थे तथा प्रतिवादी सं0 4, 6, 7 भी वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को समर्थन किये हैं। दिनांक– 22.12.2020 के आदेश के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 अभी तक उपस्थित नहीं हुये हैं अतः न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक– 22.12.2020 के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि आवेदन पर गुण एवं दोष पर सम्यक सुनवाई एवं आंदेश तक उभय पक्ष विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाये रखेंगे। वादी इस वाद के प्रतिवादी सं0 1 पर नये सिरे से नोटिस एवं स्पीड पोस्ट की कार्यवाही कर ट्रैक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। आदेश दिनांक– 22.12.2020 से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 24.02.2020 पर अभी उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अंतिम रूप से आदेश प्रतिवादी सां0 1 के अनुपस्थिति के कारण पारित गुण दोष के आधार पर नहीं किया गया है तथा इस वाद पत्र के अनुतोष के अनुसार विवादित जमीन वाद पत्र के कंडिका– 2 में दर्ज जमीन ही है, कंडिका सं0 3 से 3 च तक वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच हुये यादास्त बंटवारा का जिक है जिसके अनुसार वादी का कहना है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में वादी को मिले हिस्से की जमीन को बेच दिया गया है जो कि इस वाद में विवादित जमीन है। इस वाद पत्र के अनुसूची 1 के अलावा अन्य कोई जमीन विवादित नहीं है तथा वादी एवं इस आवेदन के आवेदक प्रतिवादी सं0 3 भी यह स्वीकार किये हैं कि उभय पक्षों के बीच यादास्त बंटवार 2008 में हो चुका है। वादी के द्वारा यादास्त बंटवारा की मूल प्रति दाखिल की

लगातार
07.02.2023

गई है जिसकी जमीमा ख में इस वाद के प्रतिवादी सं0 3 दिवाकर मिश्र को मिले हिस्से की जमीन का विवरण है तथा अन्य पक्षकारों को भी हिस्से में मिली जमीनों का विवरण जमीमा नं0 3 में अंकित है। यह वाद वादी के द्वारा जमीमा नं0 2 से सम्बंधित निबंधित केवाला को शून्य घोषित करने हेतु लाया गया है जो कुल 20 डी0 का है अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक– 22.12.20 का प्रभाव विवादित जमीन जो जमीमा नं0 2 में अंकित है उसी जमीन पर होगा। उसके अलावा अन्य जमीनों पर नहीं होगा तथा दिनांक– 22.12.2020 का आदेश वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 24.02.2020 पर अंतिम आदेश नहीं है अतः वादी को निर्देश दिया जाता है कि दो महीनों के अन्दरं प्रतिवादी सं0 1 की उपस्थिति हेतु अग्रिम कार्यवाही करें अन्यथा वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 24.02.20 को स्वतः खारिज माना जायेगा।

वास्ते दिनांक– 12.4.23 वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 की उपस्थिति हेतु अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।